[24/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4354]

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न क्रमांक - 4354

छिन्दवाड़ा इंस्टीटयूट ऑफ मे... ...स छिन्दवाड़ा से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल भवन का निर्माण

"परिशिष्ट-अ"

स.क्र.	भवनों का विवरण	लागत राशि (करोड़ में)	भौतिक प्रगति	अद्यतन व्यय (करोड़ में)	रिमार्क
1	हॉस्पिटल भवन का निर्माण	814.03	बेसमेंट का कार्य प्रगति पर	52.20	
2	ऑडिटोरियम	25.54	अप्रारंभ	0.00	
3	स्टॉफ रेसीडेंस 3 बी.एच.के.	43.21	अप्रारंभ	0.00	
4	नर्स रेसीडेंस 1 बी.एच.के.	32.34	अप्रारंभ	0.00	
5	सीनियर नर्स रेसीडेंस 2 बी.एच.के.	7.02	अप्रारंभ	0.00	
6	फेकल्टी रेसीडेंस 2 बी.एच.के.	30.54	अप्रारंभ	0.00	
7	सीनियर रेसीडेंस्स डॉक्टर 1 बी.एच.के.	32.53	अप्रारंभ	0.00	
8	पोडियम	5.50	अप्रारंभ	0.00	
9	धर्मशाला	7.21	अप्रारंभ	0.00	
10	गेस्ट हॉउस	10.74	अप्रारंभ	0.00	
11	एक्सटर्नल सर्विसेस, कॅम्पस डव्हलपमेंट	96.72	अप्रारंभ	0.00	
12	उपकरण	296.26	अप्रारंभ	0.00	

संभागीय परियोजना यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned by CamScann

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न क्र. 4354

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ 1-3/2019/55-2 भोपाल, दिनांक /09/2019

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस से संबद्ध नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण तथा मशीन/संयंत्र/उपकरणों की स्थापना के लिये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस के लिये प्रथम चरण हेतु कुल रूपये 1184.85 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2019 को जारी की गई। 250 सीट एम.बी.बी.एस प्रवेश क्षमता हेतु छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस में आवश्यक 1110 बिस्तरीय शैक्षणिक अस्पताल, मल्टी सुपरस्पशिलिटी अस्पताल हेतु 240 बिस्तर, कार्डियक सेंटर हेतु 120 बिस्तर, तीनों के लिये आई.सी.यू, एन.आई.सी.यू, इमजेंसी वार्ड, प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आदि के लिये 356 अतिरिक्त बिस्तर तथा आयुष्मान एवं अन्य मरीजो के लिये 115 प्रायवेट वार्ड, इस तरह कुल 1941 बिस्तरों हेतु भवन निर्माण, भविष्य की आवश्यकताओ के दृष्टिगत 496 अतिरिक्त भवन के विस्तार हेतु आधारभूत अधोसंरचना तथा अन्य अनुषांगिक कार्य, कवर्ड एवं सर्फेस पार्किंग, ऑडिटोरियम, आवासीय परिसर, धर्मशाला एवं गेस्टहाउस का निर्माण तथा चिकित्सीय सुविधाओ के लिये आवश्यक मशीन/संयत्र/उपकरणों हेतु 1455.33 करोड़ की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2/- यह स्वीकृति मान. मुख्यमंत्री जी के समन्वय में दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

17 SEP 2019

पृ. क्र. एफ 1-3/2019/55-2 भोपाल, दिनांक 3/09/2019

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को भेजने हेतु आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न है।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल।
4. निज सचिव, राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त कोष एवं लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल।
8. संभागीय आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. परियोजना संचालक(पी.आई.यू.)लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
11. अधिष्ठाता, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, छिन्दवाड़ा।
12. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
13. अनुभाग अधिकारी (शाखा-1) चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

[illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग